राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

जी–3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन फाटक के पास सी–स्कीम जयपुर 302005

दूरभाष सं0 0141–2222403, वेबसाईट www.cmar-india.org, ई–मेल: dlbrajasthan@gmail.com

---

क्रमांकः–प.2(क)( )जॉच/डीएलबी/2016/1622 दिनांकः 17/08/2020

–: आदेश :–

श्री महावीर मोदी, सभापति नगर परिषद बूंदी के विरूद्ध पद का दुरूपयोग करने की शिकायत के संबंध में जिला कलक्टर बूंदी द्वारा जॉच करवायी जाकर विभाग को जांच रिपोर्ट प्रेषित की गई। जांच अधिकारी द्वारा प्रेषित जांच रिपोर्ट में प्रथम दृष्ट्या अनियमितता होना पाया गया है। श्री महावीर मोदी, सभापति नगर परिषद बूंदी के विरूद्ध लगाये गये आरोप काफी गम्भीर प्रकृति के पाये जाने के कारण जो दुराचरण की श्रेणी में आने से, राज्य सरकार द्वारा उनके विरूद्ध राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 39 (3) के अन्तर्गत न्यायिक जांच करवायें जाने का निर्णय लिया जाकर दिनांक 08.01.2020 को प्रकरण न्यायिक जांच हेतु प्रेषित किया जा चुका है। वर्तमान में न्यायिक जांच विचाराधीन चल रही है। उक्त न्यायिक जांच में श्री महावीर मोदी, सभापति नगर परिषद बूंदी के पद पर बने रहने से न्यायिक जांच प्रभावित किये जाने की संभावना है।

अतः राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 39 (6) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार श्री महावीर मोदी, सभापति नगर परिषद बूंदी को सभापति एवं सदस्य के पद से तुरन्त प्रभाव से निलंबित करती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

दीपक नन्दी
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव
स्वायत्त शासन विभाग

(दीपक नन्दी)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांकः–प.2(क)( )जॉच/डीएलबी/2016/1623-1632 दिनांकः 17/08/2020

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निदेशक लेखन एवं मुद्रण राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय जयपुर को राज0 राजपत्र के भाग 6(क) के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
2. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय राज0 जयपुर।
3. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
5. जिला कलेक्टर, बूंदी।
6. उप निदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग, कोटा।
7. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, निदेशालय, को भेजकर लेख है कि प्रकरण में केवियट दायर करावें।
8. आयुक्त नगर परिषद बूंदी।
9. श्री महावीर मोदी, सभापति नगर परिषद बूंदी।
10. सुरक्षित पत्रावली।

(रक्षा पारीक)
सहायक निदेशक (सतर्कता)

दीपक नन्दी
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव
स्वायत्त शासन विभाग

Scanned with CamScanner